कच्छ विकास बोर्ड

1570. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान बहुचर्चित और बहुलम्बित "कच्छ विकास बोर्ड" के गठन की औपचारिक घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावित "कच्छ विकास बोर्ड" के गठन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने भी उक्त बोर्ड के गठन से संबंधित विस्तृत प्रभाव भेजा है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) 3 मई को अहमदाबाद में आयोजित एक जन सभा में प्रधान मंत्री ने कच्छ क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए एक कच्छ विकास बोर्ड के गठन की आवश्यकता के बारे में बोला था।

(ख) से (घ) इस बारे में राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत-पकिस्तान युद्ध के दौरान भारत छोड़ कर जाने वाले लोग

1571. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन भारतीयों की सूची तैयार की गई है जो 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इनमें से कुछ व्यक्तियों ने उक्त सूची में से अपने नामों को हटाने के लिए अनेक वर्षों के उपरांत प्रार्थना-पत्र दिए थे; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन भारतीयों की सम्पत्ति जो 10.9.1965 अथवा 18.12.1971 को अथवा उसके पश्चात् पाकिस्तान प्रवास कर गए थे और जिन्होंने क्रमशः 10.7.1968 को अथवा उससे पहले और 27.9.1977 को पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, भारत के शत्रु सम्पत्ति नियंत्रक में निहित है।

राज्यों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार केवल एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तानी नागरिक, जिसकी अचल सम्पत्ति नियंत्रक (कस्टोडियन) में निहित थी, ने भारतीय राष्ट्रीयता ग्रहण करने के पश्चात् अपनी सम्पत्ति वापिस लेने का अनुरोध किया है। एक अन्य मामले में पाकिस्तानी नागरिक के भारतीय कानूनी वारिस ने अपने स्वर्गीय पिता की सम्पत्ति वापिस करने हेतु आवेदन दिया है।

हिन्दू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता

1572. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत आये हिन्दू शरणार्थियों को भारतीय नागिरिकता दे दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत आये हिन्दुओं के कितने मामले सरकार के पास उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विचाराधीन है; और

(ग) 1965 तथा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान हिन्दू शरणार्थियों के उन बच्चों, जो उस समय अवयस्क थे तथा अब वयस्क हो चुके हैं, को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के कितने मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दो भारत-पाक युद्धों के दौरान भारत में प्रवेश करने वाले हिन्दू शरणार्थियों से आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित राज्य सरकारों ने 31.3.1986 तक उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया। ये शक्तियां बाद में 1.4.1986 से वापस ले ली गई थीं। जो लोग किसी कारणवश उस समय स्वयं को पंजीकृत नहीं करा सके, उनसे या उनके बच्चों से राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इस मंत्रालय द्वारा उन पर सामान्य तौर पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंध और राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार विचार किया जाता है। तथापि, ऐसे शरणार्थियों से संबंधित कोई पृथक सूची केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

राजभाषा विभाग में वित्तीय घपले

1573. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय घपले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) वर्तमान में राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर हुए वित्तीय घपले का कोई मामला सामने नहीं आया है।

अयोध्या के आसपास अधिग्रहीत भूमि

1574. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयोध्या में विवादित स्थल के आस-पास कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा देने को आधार बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कब तक इस मुआवजे का भुगतान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क) केन्द्र सरकार द्वारा "अयोध्या में कतिपय भूमि अर्जन अधिनियम, 1993" के अधीन विवादित भूमि समेत अधिग्रहीत की गई कुल भूमि का क्षेत्रफल 112 बीघा, 02 बिस्वा. 13 बिस्वांसी है।

(ख) से (घ) अयोध्या में कतिपय भूमि अर्जन अधिनियम, 1993 की धारा 8 में उन भू-स्वामियों, जिनकी भूमि, इमारत, ढांचे अथवा अन्य सम्पत्ति इत्यादि केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, के दावों का निर्णय करने तथा उन्हें मुआवजे का भुगतान करने के लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान है। दावा आयुक्त ने पहले ही 68 मामलों में निर्णय ले लिया है तथा कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद इन मामलों में भुगतान किए जा रहे हैं। शेष मामले प्रौसेस करने के बाद दावा आयुक्त द्वारा उन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में अपराध

1575. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में जनवरी, से 31 मई, 1998 के दौरान हत्या, लूट और बलात्कार करने के बाद हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) उपरोक्त घटनाओं में से पुलिस थानों के आसपास तथा दिन-दहाड़े, कितनी हत्याएं हुई; और

(ग) हत्याओं और अन्य अपराधों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके लिए कितनों को सजा दी गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित स्थिति सूचित की है:—

शीर्ष	1.1.1998 से 31.5.1998 तक की अवधि के दौरान सूचित किए गए मामलों की संख्या
हत्या	268
लूटपाट	272
बलात्कार के बाद हत्या	1

प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, पुलिस स्टेशनों के नजदीक दो हत्याएं की गईं और 32 हत्याऐं दिन दहाड़े हुई।

ऊपर उल्लिखित मामलों में कुल मिलाकर 628 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

इनमें से 144 का चालान किया गया और उन पर न्यायालयों में मुकद्मा चल रहा है।

वैधानिक विकास बोर्डों के लिए राज्यों को स्वीकृतियां

1576. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें वैधानिक विकास बोर्डों के गठन के लिए सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ख) किन-किन राज्य सरकारों के वैधानिक विकास बोर्डों की स्थापना के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित और विचाराधीन है;

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को कितने प्रस्तावों को वापिस लौटाया जा चुका है; और

(घ) वैधानिक विकास बोर्डों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और क्या ये बोर्ड सीधे सरकार के नियंत्रणाधीन है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(2) में दो राज्यों, नामतः महाराष्ट्र और गुजरात में विकास बोर्डों की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र में विकास बोर्डों का गठन किया जा चुका है। गुजरात राज्य सरकार से कच्छ के लिए विकास बोर्ड स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

विकास बोर्ड के संबंध में राज्यपालों की विशेष जिम्मेवारी है। ये विशेष जिम्मेवारियां (I) समग्र राज्य की